2536/14
16/9/14

नियमावली

1.	सोसायटी का नाम ANSH Happiness Society होगा।
2.	सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) House No.1, G.M.C. Hostel Road, Shaheed Nagar, Bhopal 462001 462001 तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र From Madhya Pradesh to entire India होगा।
4.	**सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः**

1	To keep programmes for the charity of poor children Poverty Alleviation.
2	To operate programmes for women and child development, women economical development Rural Development and urban Development board and corporation and social welfare boards in public welfare.
3	To organize free eye camps, encourage latest medical science and techniques in health care medical science as well, operate all kinds of healthcare educational cultural development programmes and to donate blood.
4	To organize and establish primary middle class, high and higher secondary School and degree colleges and operate them.
5	To establish boarding school and non boarding school for backward schedule cast and tribal poor boys and girls student.
6	To make arrangement of latest high-tech computer education and typing in the field of education and run all kinds of educational courses and training programmes as well as operating programmes for women child development and community welfare board's programmes in human welfare.
7	To establish and run high school, higher secondary school, Madarsa latest high-tech schools and colleges in the field of education and make arrangement of library and other facilities.
8	To run college for D.ed, B.ed, M.ed, M.P.ed, MCA and MBA courses vocational Training.
9	To establish centers and institutions for learning languages of India like Hindi, Persian, Arabic, English, French and religious education and give them knowledge of other languages.
10	To get every category of the community as Boys, Girls, Men, Women, Youth, elderly men and women progressed educationally and socially on other levels by the cooperation of Government.
11	To operate programmes for health, family welfare and women child development.
12	To procure training institutions for poor rural inhabitant, S.C. tribal and backward class so that they may earn their daily living (Bread Butter)
13	To bring awareness about high-tech latest agricultural information among awared farmers to make them self dependent.
14	To run educational centers for physical exercises and operate gym.
15	To run multiple programmes in order to raise standard of S.C. ST, other backward caste women, minority, those poor who are living below poverty line and other weak social communities.

असि. रजिस्ट्रार ऑफ संस्थाएं भोपाल
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

16	To establish educational and training institutions for blinds, deaf, dumb and other types of handicapped boys, girls and youths and operate several programmes to raise their self development skill.
17	To run environment programmes for environmental conservation and develop an awareness for cleanliness hygiene, pollution and environment.
18	To help handicaps for their rehabilitation, education and intimate them about the information regarding aid being given by central state government.
19	To seek new systems of encouragement for high-tech technology of plantation and act upon them so that environmental programmes may be exceeded and people can know about them.
20	To act for the welfare medication for exploited women, widows children and to operate programmes to aware people about human rights regarding customer awareness and to run crash (baby sitting centers), Aanganvadi old age Education centres.
21	To spread unusual power sources information up to common people and give them acknowledgement regarding production to collect latest high-tech agriculture technologies from research centre and give it to formers.
22	To run many type of programmes for overall development for the helpless people, old age fellow, orphans, unsheltered children run awareness movement in order to eradicate old conservative bad rituals like Dowry systems etc
23	To run Self Help Groups (SHGs) for Guiding Principle stresses on organizing the rural poor into small groups through a process of social mobilization, training and providing bank credit and government subsidy.
24	To organize camps time to time for self employment business trainings.
25	To conserve and save in proactive tribal's culture customs and rituals practices in order to save their cultural identity, social sources their tribal system to solve their disputes.
26	To encourage farmers to cultivate using agricultural technologies and give them instructions and training for their cattle deceases.
27	To work for rising forward science, education, literature or stylish arts.
28	To work for the innovation of social welfare religious or charity purposes under which are the welfare of orphans of soldier welfare of political victims and other such types of people's welfare, for the purpose, the funds are established for the same to work for innovating it.
29	To run shelter houses for lost children and small kids and arrange their foods clothings and their daily needs.
30	To run training centres for mehndi, embroidery, stitching, knitting, pickles and papad making.
31	Work for preventing air pollution, water pollution, noise pollution.
32	Active participation in Corporate Social Responsibility and its general Awareness.
33	Specially Work in The Areas of HIV AIDS Awareness across all cross –section of The Society And Include all Age Group.

34	Promotion of adventure and historical activities and adventure tours all round development and welfare of the institution providing the facilities.
35	To spread awareness among the people to save them from the crimes happening through internet (Cyber Crimes).
36	To implement substantial measures to improve the condition of poor farmers in the rural areas, which will not only remove the poverty but also will create more employment opportunities in the agricultural sectors.
37	To work to spread Nationalism message of Communal Harmony.
38	To work for women empowerment to protect their social rights in the society to help them to protect their self respect.
39	To organize coaching classes for poor students to help them to face the competitive exams and vocational education classes to make them self-dependent.
40	To empower indigenous groups, marginalized populations, women and children to claim their rights entitlements.
41	To find out the problems suffering by youth of India and to solve these problems in the best possible way.

5.	**सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगेः-**
	(अ) संरक्षक सदस्यः- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये **5000** या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये **3000** या अधिक देकर, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये **2000** या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
	(स) साधारण सदस्य- जो व्यक्ति रूपये **100** माह रुपये **1200** प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा व साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
	सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।
6.	**सदस्यता की प्राप्ति-**प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7.	**सदस्यों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः- 1.आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो।
8.	**सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

	4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर| 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	**संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगेः-** 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर| 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	**(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। **(ब) प्रबंधकारिणी सभा-** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।
12.	**प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। (1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2
13.	**प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।
14.	**प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-** (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना। (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ

	प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना। (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना। (द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना। (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए। (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी। (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।
15.	**अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	**उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	**सचिव(मंत्री) के अधिकार-** (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये **3000** व्यय करने का अधिकार होगा।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	**बैंक खाता-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ओफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये **5000** रहेंगे।
21.	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	**संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23.	**विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24.	**सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	**पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स

स.रजिस्ट्रार ऑफ ... ASST. REGISTRAR ... BHOPAL भोपाल

	एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26	**विवाद**- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष Mohsin Khan	सचिव Swanzil	कोषाध्यक्ष Bhawna

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

प्रमाणित प्रति
शुल्क रुपये 200 चालान नं./रसी न. ... द्वारा पटाया ... दिनांक 3/9/14 की प्रमाणित
गया है। यह मूल दस्तावेजों ...
प्रति है।
जारी होने की दिनांक ...

सहायक के हस्ताक्षर

T.C

शशि सिंह
असिस्टेंट रजिस्ट्रार

Mohsin Khan
Swanzil
R.K.Goba
Bhawna

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

52AA 986289

अस. रजिस्ट्रार ऑफ संस्थायें भोपाल
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

ज्ञापन/विधान की प्रमाणित प्रति
के साथ संलग्न [illegible]
संस्था का [illegible] दिनांक [illegible]
पंजी.क्र. [illegible]

सहायक के हस्ताक्षर

शशि सिंह
असिस्टेंट रजिस्ट्रार

7078/104
26-8-2014

अंश हैप्पीनेस सोसायटी
हाउस न. 1, जी. एम. सी. हॉस्टल रोड, शहीद नगर,
तहसील हुजूर जिला भोपाल

07 JUL